माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. मुझे अपनी सरकार का पाँचवा एवं इस दशक का प्रथम आय–व्ययक प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

''जीवन नहीं यह रणभूमि है
बस कर्म है तेरे हाथ में
क्यों व्यर्थ चिंता करता है
जब सारथी ईश्वर तेरे साथ है
कुरुक्षेत्र के मध्य
फिर विजयी पताका लहराएगा
बुरा दौर भी आया था
अच्छा दौर भी आएगा''

2. मान्यवर, इस वर्ष हमने राज्य स्थापना के बीस वर्ष पूरे किये हैं। मैं इस अवसर पर उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। साथ ही, भारत माता की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।

3. मैं, इस अवसर पर डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मियों, पुलिस, प्रशासन तथा सामाजिक संस्थाओं से जुड़े सभी कोरोना योद्धाओं को भी नमन करता हूँ, जिनके योगदान के बिना कोरोना के विरूद्ध लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी।

4. कोरोना के कारण आर्थिकी पर बुरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, किन्तु हम सजग थे। लॉकडाउन के कारण प्रभावित पर्यटन व्यवसाय में जिलाधिकारियों के माध्यम से त्वरित सर्वेक्षण के आधार पर होटल में कार्यरत कार्मिकों, फोटोग्राफरों, टैक्सी, ऑटो रिक्शा तथा ई–रिक्शा चालकों के रूप में कार्योजित लगभग दो लाख चालीस हजार व्यक्तियों को दो हजार रूपये प्रति व्यक्ति की

दर से एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। **वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना** और **पं. दीनदयाल उपाध्याय होम–स्टे योजना** में ऋण लेने वालों को अप्रैल से जून माह तक ब्याज पर छूट दी गयी। लॉकडाउन की अवधि हेतु व्यावसायिक उपभोक्ताओं यथा होटल, रेस्टोरेंट, ढ़ाबों इत्यादि को उक्त अवधि में की गई विद्युत खपत हेतु निर्गत विद्युत बिलों में फिक्स चार्ज में पूर्ण छूट प्रदान की गई है।

5. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील हैं। इसी क्रम में 7 फरवरी, 2021 को ऋषि गंगा (रैणी गांव) में आई भीषण आपदा में अपूर्णीय जन–धन की क्षति हुई है। हम प्रकृति जनित आपदा को रोक तो नहीं सकते, लेकिन बेहतर आपदा प्रबन्धन कर सकते हैं। अपने रिस्पांस में, हम अत्यन्त मुस्तैद थे। मैं शुक्रगुजार हूँ टीम आपदा प्रबन्धन, एस.डी.आर.एफ., पुलिस, सेना एवं आई.टी.बी.पी. का, जिन्होंने त्वरित कार्यवाही कर राहत एवं बचाव के द्वारा इस विभीषिका के प्रभाव को सीमित कर दिया।

6. मान्यवर, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केन्द्र सरकार के विशेष सहयोग से ऐसे बहुत से काम हुए हैं, जो कि पहले मुमकिन नहीं लग रहे थे। केन्द्र सरकार ने विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत की हैं। ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना, चारधाम सड़क परियोजना, केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण, भारतमाला परियोजना, जमरानी बहुद्देशीय परियोजना, नमामि गंगे एवं देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना गतिमान है। निःसन्देह यह **''डबल इंजन''** का ही परिणाम है।

7. हम उत्तराखण्ड में अनेक उच्च स्तरीय संस्थाएं लाए हैं। इस क्रम में देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपेट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेन्टर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाईबर उल्लेखनीय हैं।

8. विगत चार वर्षों में हमारी प्राथमिकता रही है कि वर्षों से लम्बित परियोजनाओं को पूर्ण कर सकें। ''Time over run is cost over run'' इस सूत्र

वाक्य के साथ आज अनेकों योजनाएं द्रुत गति से विकासमान हैं। टिहरी झील के ऊपर **डोबरा–चांटी** स्थान पर बने भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन पुल का निर्माण पूर्ण करते हुए इसे जन आवागमन हेतु दिनांक 08 नवम्बर, 2020 को सुलभ करा दिया गया है। निःसन्देह यह राज्य के अवस्थापना विकास के क्षेत्र में कीर्तिमान है। इसी प्रकार गंगा नदी पर मुनि की रेती में कैलाश गेट के समीप **जानकी सेतु** के निर्माण को पूर्ण करते हुए लोकार्पित कर दिया गया है।

9. राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों का असर सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति में परिलक्षित हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बुनियादी जरूरत सूचकांक (Basic Need Index) में उत्तराखण्ड अग्रणी राज्यों में सम्मिलित है। नीति आयोग द्वारा जारी ''भारत नवाचार सूचकांक 2019'' में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड सर्वश्रेष्ठ तीन राज्यों में शामिल है।

10. राज्य को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट घोषित किया गया। **'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'** अभियान में ऊधमसिंह नगर जिले को देश के सर्वश्रेष्ठ 10 जिलों में चुना गया है। पहले राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में कोसी नदी पुनर्जनन अभियान के लिए अल्मोड़ा को समूचे उत्तर जोन में सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में चयनित किया गया। उत्तराखण्ड को खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए **''कृषि कर्मण प्रशंसा''** पुरस्कार दिया गया। हिमालयी राज्यों में ई–गवर्नेंस में जनपद रूद्रप्रयाग को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार दिया गया है। **''ईज ऑफ डुईंग बिजनेस''** के अन्तर्गत राज्य का प्रदर्शन देश के शीर्ष राज्यों में रहा है। ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी इंटीग्रेटेड रेटिंग्स ऑफ यूटिलिटिज में यू.पी.सी.एल. को लगातार तीन वर्षों से ए प्लस की शीर्ष श्रेणी में रखा गया है। निर्बाध विद्युत आपूर्ति और 1912 हेल्पलाइन सेवा के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण में उत्तराखण्ड तीसरे स्थान पर है। देश के लगभग 15 हजार पुलिस थानों में राज्य के दो थाने मुन्स्यारी और वनभूलपूरा को शीर्ष 10 थानों में सम्मिलित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास

योजना–ग्रामीण के तहत परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखण्ड टॉप 5 राज्यों में रहा है, जबकि इसी योजना में आवास पूर्ण कराने की श्रेणी में राज्य दूसरे स्थान पर रहा। ऋषिकेश को भी बेस्ट एडवेंचर डेस्टीनेशन के नेशनल टूरिज्म अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है।

11. **जीरो टोलरेन्स ऑफ करप्शन** के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है कि सत्ता के गलियारों से बिचौलियों को खत्म कर दिया गया है। विभिन्न अनियमितताओं की समयबद्ध जांच कराते हुये दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित करने हेतु एक समान कार्यवृत्ति वाले विभागों के एकीकरण की प्रक्रिया गतिमान है।

12. मान्यवर, हमने 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना के महत्व को समझा है और इसको साकार करने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। 'आत्मनिर्भर भारत' का सपना तब साकार होगा जब प्रत्येक इकाई अपने उपलब्ध संसाधनों की महत्ता को समझेगी। 'आत्मनिर्भर भारत' का रास्ता 'आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड' से भी गुजरता है। 'आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड' का मूल मंत्र है– स्थानीय भौतिक, प्राकृतिक व मानव संसाधनों का समुचित प्रयोग, स्थानीय उत्पादों का समुचित विकास व विपणन एवं गांव व शहर में बेहतर गुणवत्तायुक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, पेयजल, ऊर्जा, संयोजकता व रोजगार की उपलब्धता। 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने के लिए हमने अपनी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता के प्रयास किये हैं। 'आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड' तब सम्भव है जब हम स्वयं के संसाधनों को बढायेगें, आधारभूत सुविधाओं में निवेश करेगें और अनुत्पादक व्यय में कमी करेंगे। हमने 'वोकल फॉर लोकल' के सही मायने समझे हैं। अपने स्थानीय उत्पादों को ब्राण्ड बनाने की कोशिश की है। इसलिए आश्चर्य नहीं कि जहां एक ओर इस आय–व्यय के केन्द्र में विकास के अवसरों को गांव और विकासखण्ड स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है वहीं दूसरी ओर 'मिनिमम गवर्नमेन्ट मेक्सीमम गर्वनेन्स' को चरितार्थ करते हुए जनकल्याण की भावना के साथ सार्वजनिक सेवाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने,

प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में सुधार करने, सौहार्दपूर्ण समाज की स्थापना करने, सुशासन स्थापित करने व पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए समुचित प्रावधान किये हैं और यथोचित राजकोषीय उपायों पर जोर दिया है।

13. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पर्वतीय राज्य की अवधारणा से बने उत्तराखण्ड में पहली बार किसी सरकार ने रिवर्स पलायन पर सुनियोजित तरीके से काम शुरू किया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) के केन्द्र में पर्वतीय क्षेत्रों को रखा गया है। **ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग** का गठन किया है तथा सीमांत तहसीलों के लिए **मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना** शुरू की गयी है।

14. मान्यवर, हमने गुड गवर्नेंस के लिए ई–गवर्नेंस की महत्ता को समझा है। सूचना तकनीक के प्रयोग से प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार के लिए ई–कैबिनेट, ई–ऑफिस, ई–डिस्ट्रिक्ट, सीएम हेल्पलाइन, सी.एम. डैशबोर्ड 'उत्कर्ष', आदि महत्वपूर्ण पहल की है। कोशिश है कि लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक लाभ मिलें। दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाला आम आदमी भी सी.एम. हेल्पलाइन के द्वारा अपनी शिकायत का समाधान निश्चित समयावधि में प्राप्त कर सकता है।

15. इसी क्रम में सदन को अवगत कराते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आगामी 5 वर्षो हेतु 15वें वित्त आयोग से हमें 14वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग दोगुना धनराशि प्राप्त होगी। राजस्व घाटा अनुदान के अन्तर्गत जहां 14वें वित्त आयोग ने हमें कोई धनराशि की संस्तुति नहीं की थी, वहीं 15वें वित्त आयोग द्वारा इस मद में 28,147 करोड़ रूपये की संस्तुति की है। 14वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों हेतु वर्ष 2015–20 अवधि हेतु 2,698 करोड़ 50 लाख रूपये की संस्तुति की थी, वहीं 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2021–26 की अवधि के लिए लगभग 55 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 4,181 करोड़ 9 लाख रूपये करने की संस्तुति की है, इसी प्रकार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु 14वें वित्त

आयोग की अवधि के अन्तर्गत 1,042 करोड़ रूपये की संस्तुति की गयी थी जिसमें लगभग 396 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 15वें वित्त आयोग द्वारा इस मद में 5,178 करोड़ रूपये की संस्तुति की है। केन्द्रीय करों में राज्य का अंश के अन्तर्गत 14वें वित्त आयोग की अवधि में 33,737 करोड़ 27 लाख रूपये की संस्तुति के सापेक्ष लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 15वें वित्त आयोग द्वारा इस मद में 47,234 करोड़ रूपये की संस्तुति की गयी है।

16. निःसन्देह संसाधनों की कमी से जूझ रहे इस राज्य के लिए 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियां संजीवनी का कार्य करेंगी। मैं, इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी एवं माननीय अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग का उत्तराखण्ड की जनता की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, साथ ही 15वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य का पक्ष रखने वाले अपने मंत्रिमण्डल सहयोगियों एवं अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

17. सरकार के कुशल वित्तीय प्रबन्धन का ही परिणाम है कि उत्तराखण्ड राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार जहां वर्ष 2017–18 में 2 लाख 19 हजार 954 करोड़ रूपये था, बढ़कर वर्ष 2019–20 में 2 लाख 53 हजार 666 करोड़ रूपये हो गया। इस अवधि में चक्रवृद्धि औसत वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 7.39 प्रतिशत रहीं। इसी प्रकार उत्तराखण्ड राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो वर्ष 2017–18 में 1 लाख 80 हजार 613 रूपये थी, बढ़कर वर्ष 2019–20 में 2 लाख 2 हजार 895 रूपये हो गयी है।

18. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सुनहरे भविष्य के लिए पूंजीगत परिसम्पत्तियों में निवेश करने की जरूरत को हमने समझा है। जहाँ पूर्ववर्ती सरकार के प्रारम्भिक चार वर्षों में मात्र 16,410 करोड़ 51 लाख रूपये का पूंजीगत व्यय किया गया वहीं हमारी सरकार के प्रथम तीन वर्षों में ही 17,512 करोड़ 96 लाख रूपये का पूंजीगत व्यय किया जा चुका है। यदि

वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान 7608 करोड़ 96 लाख रूपये को सम्मिलित कर लिया जाय तो पिछली सरकार द्वारा चार वर्षों में किये गये पूंजीगत व्यय की तुलना में हमारी सरकार द्वारा चार वर्षों में 25,121 करोड़ 92 लाख रूपये पूंजीगत व्यय किया गया है, यह पूर्ववर्ती सरकार के प्रारम्भिक चार वर्षों की तुलना में 53 प्रतिशत अधिक है। महोदय, फिर भी हम बेहतर पूंजीगत परिदृश्य के लिए सतत् प्रयत्नशील है। इसी क्रम में वर्ष 2020–21 में जहां पूंजीगत परिव्यय का संशोधित अनुमान 7608 करोड़ 96 लाख रूपये था, वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में यह राशि लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 8972 करोड़ 84 लाख रूपये अनुमानित है।

19. इस आय–व्ययक के निर्माण हेतु आम–जन से भी सुझाव प्राप्त किये गये, जिनमें से अधिकांश सुझाव रिवर्स पलायन, आधारभूत संरचना विकास, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, रोजगार एवं कृषि से सम्बन्धित थे। इस आय–व्ययक में जनभावनाओं के सुझावों को भी सम्मिलित किये जाने का प्रयास किया गया है। मैं, हृदय की असीम गहराइयों से जनसामान्य का उनके सुझावों हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह आय–व्ययक उनकी अपेक्षाओं व आकांक्षाओं को वास्तविकता के धरातल पर पूर्ण करने में सफल होगा।

मान्यवर, अब मैं वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक से सदन को अवगत कराना चाहूंगा।

कृषि एवं सहायक गतिविधियां

20. हमने कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित सहायक गतिविधियों से जुड़े हुए समस्त पहलुओं को समग्रता से समझने का एक प्रयास किया है। हम कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस हेतु आवश्यक नीतिगत व पूंजीगत प्रावधानों के लिए सदैव तत्पर रहे हैं।

21. इसी क्रम में विगत 4 वर्षों में हमारी सरकार ने कृषि, औद्यानिकी, दुग्ध विकास, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य, जलागम, सिंचाई, वन एवं पर्यावरण, खाद्य तथा ग्राम्य विकास आदि विभागों के तत्वावधान में आवश्यक नीतियां यथा– **मुख्य मंत्री राज्य कृषि विकास योजना, जैविक कृषि एक्ट, नर्सरी एक्ट एवं एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना** निरूपित की है।

22. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कृषक भाईयों–बहनों की सहायता के लिए प्रदेश के 8.82 लाख कृषकों को निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। मृदा परीक्षण की संस्तुतियों को अपनाने से वर्ष 2017–18 से वर्तमान तक 1.17 लाख मैट्रिक टन उर्वरकों की कम खपत हुयी, जिससे 202 करोड़ रूपये अनुदान की बचत हुयी। उत्पादकता वृद्धि के साथ–साथ भूमि की उर्वरकता में भी सुधार देखा जा रहा है।

23. जैविक कृषि के महत्व को समझते हुए इसके प्रोत्साहन हेतु प्रदेश में **जैविक कृषि अधिनियम 2019** लागू किया गया है। गत तीन वर्षों में जैविक कृषि के क्षेत्रफल में निरन्तर वद्धि हुई है। वर्तमान में जैविक कृषि के अन्तर्गत 2 लाख 13 हजार हैक्टेयर भूमि आच्छादित है, जो कुल कृषि क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत है।

24. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम परम्परागत कृषि के विकास के लिए भी सतत् प्रयत्नशील हैं। इसी क्रम में **परम्परागत कृषि विकास योजना** द्वितीय चरण (वर्ष 2018–19 से 2020–21) में 3 हजार 900 क्लस्टरों के 78 हजार हैक्टेयर भूमि में संचालित की जा रही है। वर्तमान में योजना में 1 लाख 20 हजार मैट्रिक टन खाद्यान्न एवं 1 लाख 30 हजार मैट्रिक टन फल एवं सब्जियों का उत्पादन हुआ है। **इस आय–व्ययक में योजनान्तर्गत 87 करोड़ 56 लाख रूपये की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।**

25. **सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन** के अन्तर्गत विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में **फार्म मशीनरी बैंक** एवं मैदानी क्षेत्रों में **कस्टम हायरिंग सेन्टर** स्थापित कर लघु, सीमान्त एवं महिला कृषकों तथा सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों तक कृषि यंत्रों की पहुंच बढ़ाई गयी, जिससे कृषकों को कम मूल्य पर अपनी आवश्यकता के अनुरूप यंत्र उपलब्ध हो रहे हैं तथा खेती में काम आने वाले पशुओं की कमी की समस्या का समाधान हुआ है। गत चार वर्षों में 1 हजार 444 फार्म मशीनरी बैंक एवं 235 कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित किये गये हैं।

26. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार गन्ना किसानों को यथासमय भुगतान करने के लिए प्रयत्नशील रही है। गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु इस **आय–व्ययक में 245 करोड़** रूपये का प्रावधान किया गया है। कृषकों से धान का क्रय इस वर्ष शत् प्रतिशत ऑनलाइन किया गया है। खरीफ खरीद सत्र 2020–21 में ही धान का मूल्य 1,988 करोड़ 58 लाख रुपये का कृषकों को भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत 8 लाख 74 हजार कृषकों के खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से 1,026 करोड़ 51 लाख रूपये हस्तान्तरित किए गये हैं।

27. मान्यवर, फल उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए हम प्रयत्नशील हैं। उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न फल यथा–सीग्रेड सेब, माल्टा, पहाड़ी नींबू/गलगल तथा नाशपाती हेतु उद्यान विभाग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) घोषित किया जा रहा है। परिणामस्वरूप फल उत्पादकों को आढ़तियों व अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों से पूर्व की अपेक्षा बेहतर मूल्य प्राप्त होने की सम्भावना बढ़ गयी है। औद्यानिकी के विकास हेतु **पर ड्राप मोर क्राप, राष्ट्रीय हर्टिकल्चर मिशन, एकीकृत बागवानी योजना, मिशन एप्पल एवं उद्यान बीमा योजना हेतु आय व्ययक में समुचित प्रावधान किये गये हैं।**

28. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र विशेष में सम्भाव्य विशिष्ट चिन्हित आर्थिक गतिविधि को आवश्यक इनपुट्स एवं वित्तीय प्रोत्साहन देकर विकसित करते हुए इनके उत्पाद एवं सेवाओं को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित किये जाने के उद्देश्य से **ग्रोथ सेन्टर योजना** लागू की गई है।

29. अभी तक विभिन्न विभागों के कुल 106 ग्रोथ सेन्टर के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं। बहुत से ग्रोथ सेंटर शुरू भी हो चुके हैं। ग्रोथ सेंटर मुख्यतः एग्री बिजनेस, स्थानीय प्रसाद, बेकरी उत्पाद, एरोमा आधारित उत्पाद, स्थानीय मसाले, फल प्रसंस्करण, मौन पालन, मशरूम उत्पादन, ए–2 मिल्क, बद्री गाय का घी आदि के विपणन एवं प्रोत्साहन से सम्बन्धित हैं।

30. **मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना** राज्य की एक महत्वाकांक्षी योजना है। **एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना** कृषकों द्वारा सहकारिता के आधार पर क्लस्टर कृषि को अपनाते हुये संचालित की जा रही है। चयनित ग्रामों में योजना के सफल संचालन के उपरान्त अन्य ग्रामों व क्लस्टरों में भी योजना संचालित की जायेगी। **इस आय–व्ययक में मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना में 20 करोड़ रूपये व एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना में 12 करोड़ रूपये का प्रावधान है।**

31. **मान्यवर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 से वर्ष 2020–21 तक 18 विभागों की 67 परियोजनाओं पर कार्य हुआ, जिनमें से 39 परियोजनायें पूर्ण की जा चुकी हैं तथा 28 परियोजनाओं पर कार्य संचालित है। **इस आय–व्ययक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 67 करोड़ 94 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित है।**

32. मान्यवर, संयुक्त सहकारी खेती के माध्यम से सहकारी समितियों द्वारा 7 हजार बेमौसमी सब्जी उत्पादन इकाई, 2 हजार मशरूम उत्पादन इकाई,

2 हजार मौन पालन इकाई, 1 हजार सेब उद्यान इकाई, दाल एवं मसाला उत्पादन आदि गतिविधियां संचालित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

33. **प्राथमिक सेब उत्पादक समितियों एवं उत्तराखण्ड सेब उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ लि. के माध्यम से सेब का प्रसंस्करण एवं विपणन की सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है, जिससे राज्य के अनुमानित बीस हजार सेब उत्पादकों को लाभान्वित किया जायेगा।**

34. मान्यवर, प्रकृति ने हमें मिट्टी व जलवायु की विविधता से नवाजा है। यह प्रास्थिति राज्य को प्राकृतिक और सुगन्धित प्रजातियों युक्त जैव विविधता केन्द्र के रूप में विशेष पहचान दिलाती है। हमने अपनी मिट्टी व जलवायु की इस ताकत को पहचाना है तथा राज्य के हित में इन विशिष्टताओं के उपयोग करने के प्रयास किये हैं। इसी क्रम में एकीकृत औद्योगिक आस्थान, काशीपुर में लगभग 41 एकड़ भूमि पर एरोमा पार्क पॉलिसी के अन्तर्गत एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है।

35. मान्यवर, प्रदेश में चारे की समस्या को देखते हुए पशु प्रजनन फार्म, कालसी, श्यामपुर–ऋषिकेश एवं आँचल पशुआहार निर्माणशाला, रूद्रपुर में काम्पैक्ट फॉडर ब्लॉक मेकिंग यूनिट की स्थापना की गई। वर्ष 2017–18 से वर्ष 2020–21 तक 9 हजार 490 मीट्रिक टन काम्पैक्ट फॉडर ब्लॉक का उत्पादन करते हुए इसका वितरण विकासखण्ड स्तरों पर स्थापित 119 उप चारा बैंकों के माध्यम से पशुपालकों को किया गया है। राज्य की 3 लाख से अधिक महिलाओं के सिर से घास का बोझ हटाये जाने की व्यवस्था के दृष्टिगत राज्य में एक नई योजना **''मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना''** प्रारम्भ की जा रही है। **इस हेतु इस आय–व्ययक में 25 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है।**

36. **राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत** वर्ष 2019–20 से वर्तमान तक 3 लाख 75 हजार वीर्य स्ट्रा का उत्पादन करते हुए, 2 लाख 16 हजार वीर्य स्ट्रा का वितरण किया गया। योजनान्तर्गत पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क कृत्रिम

गर्भाधान सुविधा उपलब्ध करायी गयी एवं 1 लाख 57 हजार 759 कृत्रिम गर्भाधान का सम्पादन किया गया।

37. मान्यवर, ऊन ग्रोथ योजना के अन्तर्गत राज्य के 10 सीमान्त पर्वतीय भेड़ बाहुल्य क्षेत्रों में ऊन ग्रोथ सेंटर स्थापित कर भेड़ पालकों को मशीन शियरिंग, ऊन की ग्रेडिंग, गुणवत्ता की जांच एवं ऊन जैविक प्रमाणीकरण का प्रयास कर ऊन उत्पादकों की आजीविका में सुधार लाया जा रहा है।

38. मान्यवर, वर्तमान वर्ष में भारत सरकार के नवीन कार्यक्रम **''प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना''** के अन्तर्गत कुल 518 ट्राउट रेसवेजों, 14 रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आर.ए.एस.), 26 बायोफ्लॉक यूनिट, 23.60 हैक्टेयर मैदानी तालाबों का निर्माण तथा विपणन कार्यों हेतु कार्यरत मत्स्य पालकों को **मोटर साईकिल विद आईस बॉक्स** योजना पर कार्य गतिमान हैं। ताजी मछलियों, मछलियों के विभिन्न प्रकार के उत्पाद तथा सजावटी मछलियों के विक्रय तथा इसे एक व्यवसाय के रूप में राज्य के अन्तर्गत स्थापित किये जाने हेतु इस वर्ष **''उत्तराखण्ड फिश कियॉस्क''** योजना आरम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत सभी जनपदों में कियॉस्को की स्थापना की कार्यवाही गतिमान है। साथ ही, राज्य में मात्स्यिकी विकास गतिविधियों को सहकारिता के माध्यम से विस्तारित कर मत्स्य उत्पादन में आशातीत वृद्धि हेतु **केन्द्रीय क्षेत्रक कृषक सहकारिता एकीकृत योजना** के अन्तर्गत ट्राउट फार्मिंग एवं ग्राम समाज के तालाबों का सुधार कर मत्स्य विकास की कार्यवाही गतिमान है। **प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु इस आय–व्ययक में 17 करोड़ 33 लाख रुपये का प्रावधान है।**

39. **मान्यवर,** किसानों की आय को दोगुना करने के प्रयासों के क्रम में हमारी सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी **दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना** महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। योजनान्तर्गत अक्टूबर, 2017 से फरवरी, 2021 तक 4 लाख 71 हजार 335 लाभार्थियों एवं 1 हजार 856 स्वयं

सहायता समूहों को रु0 2 हजार 467 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है। **इस योजना हेतु आय–व्ययक में 47 करोड़ रुपये का प्रावधान है।**

40. **आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन (एन.सी.डी.सी.)** के माध्यम से **''एक जनपद–एक उत्पाद''** को केन्द्र में रखकर क्लस्टरवार कृषक उत्पादन संगठन (एफ.पी.ओ.) का गठन किया जा रहा है। कृषकों की प्राथमिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा किये जाने के उद्देश्य से नाबार्ड के सहयोग द्वारा प्रदेश की कुल **102 मल्टीपरपज प्राईमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसायटी** (MPACS) **को ''बहु–सेवा केन्द्र'' के रूप में विकसित किया जा रहा है।**

जल संसाधन :

41. **आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सिचांई कृषि के लिए प्राण वायु का कार्य करती है।** हम सौभाग्यशाली हैं कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए हमें केन्द्र सरकार के आशीर्वाद स्वरूप जनपद नैनीताल में गौला नदी पर तराई भाबर की लाइफ–लाइन **जमरानी पेयजल बहुद्देशीय परियोजना** के लिए 2,584 करोड़ 10 लाख रूपये की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गयी है। इस परियोजना के अन्तर्गत गौला नदी पर हल्द्वानी शहर से 10 किमी अपस्ट्रीम में 136.60 मीटर ऊँचा कंक्रीट ग्रेविटी बाँध निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

42. जमरानी परियोजना के निर्माण से उत्तराखण्ड में 9 हजार 458 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा एवं हल्द्वानी शहर हेतु पेयजल की उपलब्धता के साथ–साथ 14 मेगावॉट विद्युत उत्पादन भी होगा। परियोजना के निर्माण हेतु लगभग सभी आवश्यक सैद्धान्तिक स्वीकृतियां एवं औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं तथा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों के मध्य परियोजना निर्माण हेतु आवश्यक सहमति (MoU) भी सम्पादित हो चुकी है। **इस आय–व्ययक में इस मद हेतु 240 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।**

43. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारा विश्वास है कि जल है तो कल है। इस क्रम में पेयजल संसाधनों की अभिवृद्धि के लिए हमारी सरकार द्वारा किये प्रयासों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। जनपद देहरादून के नगरीय एवं उप नगरीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु **सौंग पेयजल परियोजना** का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। सौंग बाँध निर्माण से सम्बन्धित समस्त तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गयी हैं। वन एवं पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृतियों हेतु कार्यवाही प्रगति पर है। सौंग बाँध से देहरादून नगरीय एवं उपनगरीय क्षेत्रों के लिए लगभग 50 वर्षों तक 150 एम.एल.डी. पेयजल की आपूर्ति ग्रेविटी द्वारा सुनिश्चित की जा सकेगी। सौंग पेयजल योजना के विस्तृत प्राक्कलन के गठन हेतु धनराशि निर्गत की जा चुकी है। **इस आय–व्ययक में इस मद हेतु 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।**

44. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि गैरसैंण में पेयजल की आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर प्रस्तावित बाँध निर्माण से सम्बन्धित आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गयी हैं। शीघ्र ही बाँध निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा। गैरसैंण पेयजल योजना की डी.पी.आर. गठित कर स्वीकृति की कार्यवाही गतिमान है।

45. हमारी सरकार द्वारा प्रदेश की नदियों, झीलों, तालाबों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक जन अभियान शुरू किया गया है। हर जिले में एक जल स्रोत को पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। रिस्पना व कोसी नदियों के क्षेत्र में व्यापक वृक्षारोपण किया गया है। देहरादून में सूर्यधार झील बन गयी है। गैरसैंण (चमोली), कोलीढ़ेक (चम्पावत), गगास, ल्वाली (अल्मोड़ा) एवं थरकोट (पिथौरागढ़) आदि झीलों पर काम चल रहा है। योजनाओं से पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, पर्यटन विकास, भूजल संवर्द्धन एवं क्षेत्रीय हर्बल पौधों, बगीचे आदि के सिंचाई कार्य भी किये जायेंगे।

46. मान्यवर, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना **''जल जीवन मिशन''** के अन्तर्गत ''हर घर नल से जल'' दिये जाने का लक्ष्य है। उत्तराखण्ड राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के 14 लाख 61 हजार 910 परिवारों को वर्ष 2022 तक **घरेलू क्रियाशील नल संयोजन** (FHTCs) के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन एवं निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति की जानी है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 3 लाख 58 हजार 880 FHTCs का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष फरवरी माह तक 3 लाख 96 हजार FHTCs उपलब्ध कराये जा चुके हैं। **इस आय–व्ययक में इस हेतु 667 करोड़ 76 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।**

47. मुझे सदन को अवगत कराते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जल संयोजन प्रदान करने हेतु हमारी सरकार द्वारा जल संयोजन शुल्क 2 हजार 300 रूपये को घटाकर मात्र एक (1) रूपया कर दिया गया है।

48. वाह्य सहायतित **पेरी अर्बन योजना** के अन्तर्गत नगरीय मानकों के अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राज्य के 5 जनपदों देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर के नगरीय क्षेत्रों से लगे अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में 785 करोड़ 87 लाख रूपये की कुल 22 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। 12 योजनाओं पर कार्य आरम्भ हो गया है तथा शेष 10 योजनाओं में टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है। **आय–व्ययक में इस मद में 328 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।**

49. नाबार्ड के अन्तर्गत पेयजल विभाग की 268 पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन हेतु 896 करोड़ 67 लाख रूपये की स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें 137 योजनाओं के कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं, शेष योजनाओं पर कार्य गतिमान है। **आय–व्ययक में इस मद हेतु 180 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।**

50. मान्यवर, जन सामान्य को पेयजल एवं सीवरेज की सुविधा देने हेतु **वाह्य सहायतित कार्यक्रम** के अन्तर्गत 38 नगरों को नगरीय मानकों के अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराने हेतु रूपये **1 हजार 258 करोड़ के ऋण की सैद्धान्तिक** सहमति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। **आय–व्ययक में इस हेतु प्रारम्भिक कार्यों यथा डी.पी.आर. आदि हेतु समुचित प्रावधान किया गया है।**

51. मान्यवर, जीवनदायनी गंगा को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त रखने हेतु सरकार कटिबद्ध है। **नमामि गंगे** कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारी सरकार द्वारा गंगा नदी के किनारे बसे शहरों को सीवरेज योजना से आच्छादित किया गया है। 15 नगरों में नदी की स्वच्छता एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु स्वीकृत 893 करोड़ 7 लाख रूपये की 19 योजनाओं में से 15 योजनाओं के अन्तर्गत 29 नये सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का निर्माण पूर्ण किया गया है एवं शेष योजनाओं पर कार्य गतिमान है।

52. हरिद्वार एवं ऋषिकेश शहर को पूर्णतः सीवरेज योजना से आच्छादित किये जाने हेतु **जर्मन विकास बैंक के.एफ.डब्ल्यू.** द्वारा वित्त पोषित 1200 करोड़ रूपये के प्रस्ताव पर दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. हस्ताक्षर हो चुका है। इस योजना में महाकुम्भ के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। **इस आय–व्ययक में 80 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।**

53. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन गतिविधियों हेतु **आय–व्ययक में 101 करोड़ 31 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।**

वन एवं पर्यावरण

54. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, **वन एवं पर्यावरण** इस राज्य को विशिष्ट बनाते हैं। हमारी सरकार के कार्यकाल में वन व वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विगत चार वर्षों में 59 हजार 359 हैक्टेयर भूमि में 5 करोड़ 87 लाख पौधे रोपित किये गये। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कैम्पा, जायका, नमामि गंगे आदि योजनाओं के तत्वावधान में लगभग 20 हजार हैक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। **आगामी आय–व्ययक में वृक्षारोपण हेतु 50 करोड़ 29 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।**

55. विभिन्न विकास गतिविधियों के कारण वन एवं पर्यावरण को पहुंचने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु, हम सदैव तत्पर रहते हैं। इसी क्रम में कैम्पा के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत 45 करोड़ रूपये की लागत से लगभग 3 हजार हैक्टेयर अग्रिम मृदा कार्य, 3 हजार हैक्टेयर क्षतिपूरक वृक्षारोपण व 11 हजार हैक्टेयर में पूर्व में किये गए वृक्षारोपण क्षेत्रों का रखरखाव कार्य किया जाना प्रस्तावित है। **कैम्पा अन्तर्गत इस आय–व्ययक में 295 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान है।**

56. **मान्यवर, उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना** के अन्तर्गत वन पंचायतों के माध्यम से योजना के प्रारम्भ से जनवरी, 2021 तक 34 हजार 483 हैक्टेयर अवनत पंचायती वनों में ईको–रेस्टोरेशन कार्य किया गया तथा इन क्षेत्रों में चाल–खाल, तालाब व जलकुण्ड तथा कन्टूरफरो के माध्यम से भूमि तथा जल संरक्षण का कार्य किया गया। इससे लगभग 108 करोड़ लीटर जल संचय क्षमता विकसित हुई है। **जाइका (JICA) अन्तर्गत इस आय–व्ययक में 110 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान है।**

ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज

57. **आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की आत्मा गाँव में बसती है।** इस अवसर पर कविवर सुमित्रानन्दन पंत की अमर पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, :

देख रहा हूँ निखिल विश्व को
मैं ग्रामीण नयन से,
सोच रहा हूँ जग पर,
मानव जीवन पर जन मन से।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत गत चार वर्षो में 2 लाख 95 हजार कार्य पूर्ण किये गये हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन तथा आजीविकापरक व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों यथा–गौशाला, बकरी बाड़ा, सुकर बाड़ा, मुर्गी बाड़ा, उद्यानीकरण, औषधीय पौधरोपण, मत्स्य पालन, कृषि सुरक्षा दीवार आदि के निर्माण पर विशेष फोकस किया गया है। कोविड के दृष्टिगत लोगों को रोजगार देने हेतु ऐसे परिवारों को जिन्होंने 100 दिन का रोजगार पूर्ण कर लिया है, उन्हें 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिये जाने का निर्णय लिया गया है। आगामी वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कुल 681 करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान है, जिसके **सापेक्ष इस आय–व्ययक में सामग्री मद के अन्तर्गत 272 करोड़ 45 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।**

58. **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना** के क्षेत्र में विस्तार करते हुए 01 अप्रैल 2019 से राज्य के समस्त 95 विकास खण्डों में संचालित कर दी गयी है। योजना के अन्तर्गत कुल 32 हजार 168 स्वयं सहायता समूहों, 1 हजार 945 ग्राम संगठनों व 156 क्लस्टर स्तरीय संगठनों का गठन किया गया है। **वित्तीय वर्ष 2020–21 से फार्म लाइवलिहुड के अन्तर्गत 20 विकासखण्डों में 20 हजार महिला किसानों का चयन कर क्षमता विकास द्वारा उनकी आजीविका में वृद्धि की जा रही है।** आजीविका मिशन के अन्तर्गत

स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए 13 जनपदों में 33 नैनो पैकेजिंग इकाई की स्थापना व समस्त जनपदों में सरस विपणन केन्द्रों को आउट लेट के रूप में विकसित किया जा रहा है। **इस योजनान्तर्गत आय–व्ययक में कुल धनराशि 94 करोड़ 43 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।**

59. राज्य में आवासविहीन, कच्चे एवं जीर्णशीर्ण आवास में निवास कर रहे परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** के अन्तर्गत पात्र 12 हजार 374 लाभार्थी परिवारों के आवास पूर्ण करा लिये गये हैं, साथ ही 539 भूमिहीन परिवारों को भूमि का पट्टा प्रदान करते हुए आवास उपलब्ध कराये गये हैं। **आवास प्लस योजना** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध पर वर्ष 2020–21 के सापेक्ष 13 हजार 399 तथा वर्ष 2021–22 के सापेक्ष 15 हजार आवासों पर सहमति प्रदान की गयी है। इस आय–व्ययक में **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 197 करोड़ 61 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।**

60. **मान्यवर, राज्य के सीमान्त क्षेत्रों के विकास के लिए ''मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना''** एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में पहचान बना चुकी है। योजना के अन्तर्गत 05 सीमान्त जनपदों के 09 सीमान्त विकासखंडों में निवास कर रहे परिवारों को सतत् आजीविका एवं स्वरोजगार के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराते हुये सीमान्त क्षेत्रों में पलायन रोकने व रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। **मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना हेतु आय–व्ययक में 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।**

61. **मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना** बेरोजगार युवाओं एवं रिवर्स माईग्रेन्ट्स आदि को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक नई उम्मीद है। योजनान्तर्गत स्वरोजगारपरक कौशल विकास की योजनाओं को

प्राथमिकता दी जा रही है। **इस आय–व्ययक में योजना हेतु 18 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।**

62. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पंचायतीराज व्यवस्था को सशक्त करने के लिए प्रयत्नशील है। इसी क्रम में जहां त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु 14वें वित्त आयोग द्वारा 1 हजार 753 करोड़ रूपये की संस्तुति की थी, वहीं 15वें वित्त आयोग द्वारा 2 हजार 239 करोड़ रूपये की संस्तुति की है। **आय–व्ययक में इस मद में 425 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।**

63. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत विगत चार वर्ष की अवधि में 150 पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है। जबकि 2012–13 से 2016–17 की अवधि में मात्र 61 पंचायत भवनों का निर्माण किया गया था। इस आय व्ययक में पंचायत भवनों के निर्माण हेतु **49 करोड़ 86 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।**

औद्योगिक एवं शहरी विकास

64. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, द्वितीयक क्षेत्र यानी औद्योगिक विकास की महत्ता भी उल्लेखनीय है। वर्तमान दौर ''आत्मनिर्भर भारत'' का दौर है। आत्मनिर्भरता के लिए हमारी सरकार ने औद्योगिक विकास, श्रम, कौशल विकास आदि विभागों के तत्वावधान में आवश्यक कार्यक्रमों को संचालित किया है।

65. इसी क्रम में सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि राज्य में निवेश को आकर्षित करने एवं उद्योगों के अनुकूल वातावरण का सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। निवेश को आकर्षित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनेक नीतियां बनायी गयी हैं, जिनमें मुख्यतः 'स्टार्ट–अप नीति', 'सूचना, संचार प्रौद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक्स नीति', 'पर्यटन नीति', 'आयुष नीति', 'सौर ऊर्जा नीति', 'इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति', 'एरोमा पार्क नीति', 'बृहद औद्योगिक

पूंजी निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति', 'जैव प्रौद्योगिकी नीति' तथा 'चीड़ की पत्तियों व अन्य बायोमास से ऊर्जा उत्पादन के लिये नीति' सम्मिलित है।

66. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2020 तक की अवधि में प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना द्वारा 3,241 करोड़ 14 लाख रूपये का पूंजी निवेश एवं 78 हजार 778 लोगों को रोजगार मिला है।

67. इसी प्रकार हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में 47 बृहद उद्यम स्थापित हुये हैं। इन उद्यमों में 2,546 करोड़ 99 लाख रूपये का पूंजी निवेश किया गया है एवं 7 हजार 366 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

68. अक्टूबर, 2018 में आयोजित ''अन्तर्राष्ट्रीय निवेश मेला, डेस्टीनेशन–उत्तराखण्ड'' के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) से माह दिसम्बर, 2020 तक बृहद, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से 507 परियोजनाओं की ग्राउंडिंग की जा चुकी है, जिससे 25 हजार करोड़ रूपये का पूंजी निवेश तथा 62 हजार 428 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

69. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत एम.एस.एम.ई. के लिये लागू **''इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम''** से राज्य के 39 हजार 817 खाता धारकों को 1,407 करोड़ 86 लाख रूपये का वितरण किया गया है।

70. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरिद्वार में 96 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइसेस पार्क, काशीपुर में 41 एकड़ भूमि में ऐरोमा पार्क तथा फार्मा सिटी सेलाकुई के समीप 75 एकड़ भूमि में एक और फार्मा सिटी के विस्तारीकरण की कार्यवाही सिडकुल के माध्यम से की जा रही है। भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत एकीकृत औद्योगिक आस्थान (आई.आई.ई.) सितारगंज फेज–2 में

40 एकड़ चिन्हित भूमि पर **प्लास्टिक पार्क की स्थापना** की कार्यवाही गतिमान है।

71. **इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एण्ड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM)** क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए **इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर** (संशोधित योजना अप्रैल, 2020) में लागू की गयी है। इस हेतु एकीकृत औद्योगिक आस्थान, काशीपुर में लगभग 102 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC) की स्थापना प्रस्तावित है।

72. मान्यवर, आधारभूत संरचना के विकास, संयोजकता एवं रोजगार के दृष्टिकोण से केन्द्र सरकार की **अमृतसर कोलकाता इण्डस्ट्रीयल कोरिडोर (AKIC)** परियोजना राज्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस योजना के अन्तर्गत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (IMC) स्थापित करने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा खुरपिया फार्म में 1 हजार 2 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है।

73. सरकार द्वारा महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उद्यमिता की भावना को विकसित करने के लिए **विशेष प्रोत्साहन योजना** लागू की गयी है। इसके अतिरिक्त ग्रोथ सेन्टर योजना से विभिन्न महिला समूहों को हेंड होल्डिंग स्पोट प्रदान कर इनके द्वारा निर्मित उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किये जाने के लिए प्रयास जारी है।

74. उद्योग विभाग की विभिन्न नीतियों यथा महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन, मेगा इंडस्ट्रियल/मेगा टेक्सटाइल नीति के तहत अनुदान, दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष राज्यपूंजी उपादान सहायता, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना, विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान, ग्रोथ सेन्टर की स्थापना व संचालन आदि के क्रियान्वयन हेतु **इस आय–व्ययक में 132 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान है।**

75. मान्यवर, इस आय–व्ययक में शहरी विकास के लिए भी यथोचित प्राविधान किये हैं। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.), प्रधानमंत्री आवास योजना (हाउसिंग फॉर ऑल), स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण, जल जीवन मिशन (शहरी) एवं स्मार्ट सिटी आदि महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए **आय–व्ययक में 695 करोड़ 16 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।**

श्रम व कौशल विकास

76. **आदरणीय अध्यक्ष महोदय,** आई.टी.आई. में प्रशिक्षण के साथ–साथ उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा दिये जाने की दिशा में वर्तमान तक 18 आई.टी.आई. में प्रशिक्षण के साथ–साथ प्रशिक्षण सह उत्पादन की कार्यवाही की गई है। उक्त के अतिरिक्त आगामी वित्तीय वर्ष में 22 आई.टी.आई. में प्रशिक्षण सह उत्पादन की गतिविधियाँ आरम्भ किये जाने की योजना है।

77. तीन वर्ष पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा आई.टी.आई. में **ऑन द जॉब ट्रेनिंग (ओ.जे.टी.)** की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी, जिसके अन्तर्गत वर्तमान तक 436 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा ओ.जे.टी. प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। प्रशिक्षणार्थियों हेतु देहरादून, दिनेशपुर, काशीपुर तथा हरिद्वार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण दिये जाने के लिए छात्रावासों को **''स्ट्राईव''** योजना के अन्तर्गत सुसज्जित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

78. वर्तमान वर्ष से **ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग** को प्रारम्भ किया गया है जिसमें कुल अवधि का 50 प्रतिशत आई.टी.आई. तथा 50 प्रतिशत इण्डस्ट्री में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, इस हेतु आतिथि तक 19 औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ एम.ओ.यू. किये जा चुके हैं, जिससे लगभग 500 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किये जाने की योजना है।

79. मान्यवर, हमने श्रम सुधार की दिशा में भी प्रयास किये हैं। श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिकी सेवायोजन मॉडल स्थाई आदेश 1992, यथाप्रवृत उत्तराखण्ड में लागू, में वर्ष 2020 में संशोधन कर नियत अवधि नियोजन कर्मकार का प्रावधान किया गया है, जिससे उद्योगों को व्यापार की आवश्यकता अनुसार कर्मकारों को नियोजित करने में आसानी होगी तथा इन नियोजित कर्मकारों को स्थाई कर्मकारों की भांति ही लाभ मिल सकेंगे, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश संविदा श्रम विनियमन और उत्पादन नियमावली, 1975, यथाप्रवृत उत्तराखण्ड में लागू में वर्ष 2020 में संशोधन कर संविदाकारों को उत्तराखण्ड द्वारा अधिसूचित पोर्टल पर स्व नवीनीकरण की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे उद्योगों एवं संविदाकारों को व्यापार की सुगमता प्राप्त हुई है।

ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा

80. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा क्षेत्र किसी भी राज्य की प्रगति के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमनें पिटकुल के माध्यम से मौजूदा पारेषण प्रणाली को संवर्धित और मजबूत किया है। पारेषण तन्त्र की उपलब्धता 99 प्रतिशत रही है।

81. मान्यवर, ऊर्जा की बढती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सतत् प्रयत्नशील रहे हैं। इसी क्रम में इस आय–व्ययक में विभिन्न नवीन परियोजनाओं यथा किशाऊ, आराकोट–त्यूनी एवं त्यूनी–प्लासू जल विद्युत परियोजनाओं के प्रारम्भिक कार्य हेतु यथोचित प्रावधान किये गये हैं। साथ ही निर्माणाधीन 120 मेगावॉट क्षमता की व्यासी जल विद्युत परियोजना के कार्य को द्रुत गति से करते हुए लगभग 85 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

82. **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना** के अन्तर्गत चिन्हित 94 अविद्युतीकृत ग्रामों का शतप्रतिशत विद्युतीकरण एवं 43 कृषि फीडरों का

पृथक्करण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। योजनान्तर्गत कुल 6 हजार 139 तोकों में विद्युतीकरण, सुदृढ़ीकरण के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा शेष 226 तोकों में कार्य प्रगति पर है।

83. भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना **इन्टीग्रेटेड पावर डेवलपमेन्ट स्कीम (आई.पी.डी.एस.)** के अन्तर्गत 301 करोड़ रूपये की लागत से कुम्भ क्षेत्र हरिद्वार में विद्युत लाइनों को भूमिगत किये जाने का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के अन्तर्गत 182 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एम.वी.ए.) क्षमता के 10 नग नये गैस इन्सुलेटेड सबस्टेशनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसके पूर्ण होने के उपरान्त विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

84. मान्यवर, परम्परागत ऊर्जा निःसन्देह महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है, नये विकल्पों की तलाश। हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रकृति ने हमें सौर ऊर्जा के अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की हैं। प्रकृति की इस देन को आशीर्वाद मानते हुए सौर ऊर्जा नीति के माध्यम से प्रदेश में 276 मेगावॉट की परियोजना स्थापित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 203 मेगावॉट क्षमता की परियोजनायें आवंटित की जा चुकी है। इन परियोजनाओं के परिचालन से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लगभग 5 हजार लोगों को स्वरोजगार मिलने की सम्भावना है।

85. **मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना** के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 10 हजार युवाओं, प्रवासियों एवं लघु एवं सीमान्त कृषकों को 25 किलोवाट क्षमता तक के सोलर पॉवर प्लाण्ट की स्थापना द्वारा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं इस हेतु एम.एस.एम.ई. विभाग द्वारा 15 से 25 प्रतिशत तक की मार्जिन राशि/अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

86. मान्यवर, हमने वैकल्पिक ऊर्जा को सौर ऊर्जा तक ही सीमित नहीं माना। हमने पिरूल को भी एक सशक्त विकल्प के रूप में समझा है। इसी

क्रम में राज्य के स्थानीय निवासियों को पिरूल नीति के अन्तर्गत 03 चरणों में कुल 62 परियोजनायें आवंटित की गई हैं जिनमें से 07 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। शेष परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्य प्रगति पर है। इन परियोजनाओं की स्थापना से जहां एक ओर प्रदेश के वनों को वनाग्नि से बचाया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से स्वरोजगार प्राप्त होगा।

सड़क, सेतु और उड्डयन :

87. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समुचित संयोजकता (Connectivity) के बिना राज्य की प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमनें इस तथ्य को पहचाना है एवं परिवहन, नागरिक उड्डयन एवं सूचना प्रौद्योगिकी आदि विभागों के माध्यम से यथासम्भव एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से, एक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से, मुख्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय से, गांव को शहर से, पहाड़ को मैदान से, जोड़ने का कार्य किया है। समावेशी विकास की नीति के दृष्टिगत विकासखण्ड एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। विकासखण्ड स्तर पर सुगम व सुरक्षित आवागमन, स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास व विस्तार, स्थानीय उत्पादों की बाजार तक पहुंच एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाओं तक त्वरित पहुंच हेतु अच्छी सड़कों के महत्व को हमने समझा है। इसलिए इस आय–व्ययक के माध्यम से **प्रत्येक विकासखण्ड को इण्टरमीडिएट लेन** से संयोजित करने हेतु समुचित प्रावधान करने जा रहे हैं।

88. मान्यवर, मैं इस क्रम में सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि **ऑल वेदर रोड परियोजना** के अन्तर्गत 540 कि.मी. चौड़ीकरण व 415 कि.मी. में सतह लेपन स्तर तक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत पड़ने वाली वन भूमि के हस्तान्तरण एवं अधिग्रहित किये जाने वाली सिविल भूमि के अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार के स्तर से व्यापक प्रयास किये गये, जिसके

फलस्वरूप परियोजना निर्माण में वांछित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकी है।

89. हमारी सरकार के कार्यकाल में लोक निर्माण विभाग के द्वारा राज्य वित्त पोषित पूंजीगत योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में 2 हजार 671 कि.मी. लम्बाई में मार्गों का नव निर्माण, 2 हजार 975 कि.मी. लम्बाई में मार्गों का पुनः निर्माण तथा 243 सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

90. आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में लोक निर्माण विभाग के द्वारा 843 कि.मी. मार्गों का नवनिर्माण, 743 कि.मी. मार्गों का पुनर्निर्माण कार्य तथा 43 सेतुओं का निर्माण एवं 120 असंयोजित गांवों को मोटर मार्गों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। **इस आय–व्ययक में पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु 1511 करोड़ 29 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।**

91. वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा निर्मित मार्गों के रख–रखाव एवं स्तरीय सड़क यातायात सुविधा हेतु उल्लेखनीय एवं विशिष्ट प्रयास किये जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के मार्गों का समुचित वार्षिक रख–रखाव किये जाने के साथ–साथ 3 हजार 330 कि.मी. मार्गों का नवीनीकरण कार्य भी सम्पादित किया गया है। **इस मद हेतु आय–व्ययक में 385 करोड़ 27 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।**

92. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा जनपद देहरादून में डाट की देवी मन्दिर के निकट 340 मीटर स्पान के टनल, मोहकमपुर रेलवे क्रासिंग एवं अजबपुर रेलवे क्रासिंग पर रोड ओवर ब्रिज, एवं आई.एस.बी.टी. में वाई शेप फ्लाई ओवर (Y-shape flyover) का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

93. विशेष आयोजनागत सहायता के अन्तर्गत देहरादून शहर के भण्डारी बाग में रेल ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

स्वीकृत आर.ओ.बी. का निर्माण पूर्ण होने पर देहरादून शहर में यातायात व्यवस्था सुगम हो जायेगी तथा रेलवे स्टेशन एवं सहारनपुर चौक, देहरादून के पास लगने वाले भारी जाम से निजात मिलेगी। हल्द्वानी शहर में प्रस्तावित रिंग रोड़ के फेज–I की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा देहरादून शहर एवं हरिद्वार शहर में प्रस्तावित रिंग रोड के लिए प्राथमिक सर्वे का कार्य किया जा रहा है।

94. जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में चौरास एवं श्रीनगर को जोड़ने हेतु अलकनन्दा नदी के ऊपर 190 मीटर स्पान सेतु का निर्माण कार्य एवं जनपद हरिद्वार में केन्द्रीय सड़क निधि से स्वीकृत डोसनी रेलवे क्रासिंग के स्थान पर 255 मीटर लम्बाई के आर.ओ.बी. का निर्माण पूर्ण किया गया है।

95. विश्वव्यापी महामारी कोविड–19 के संक्रमण के कारण प्रदेशों की आर्थिक स्थिति एवं अवस्थापना विकास में पड़े प्रतिकूल प्रभाव को दूर किये जाने एवं राज्य में आर्थिक गतिविधियां तेज किये जाने तथा अवस्थापना कार्यों को तेजी से प्रारम्भ किये जाने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत प्रदेश में मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं अन्य कार्यों हेतु 340 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता अनुमोदित की गयी है, जिसके लिए मैं, केन्द्र सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। योजनान्तर्गत भारत सरकार से अनुमोदित कार्यों को प्रारम्भ किया जा चुका है। अनुमोदित समस्त कार्य 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण करने के लिए हम द्रुत गति से व सजगतापूर्वक कार्य कर रहे है।

96. मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में मोटर मार्गों एवं सेतुओं के कार्यों हेतु नाबार्ड वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 618 कि.मी. मार्गों का नवनिर्माण, 871 कि.मी. पुनर्निर्माण तथा 68 सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। प्रस्तावित आय–व्ययक में नाबार्ड के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु 330 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

97. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जहां एक ओर 01 अप्रैल, 2012 से 28 फरवरी, 2017 तक 3 हजार 638 कि.मी. निर्माण कार्य पूर्ण कर 219 बसावटों को सड़क सम्पर्क से संयोजित किया गया वहीं दूसरी ओर 01 मार्च, 2017 से 31 दिसम्बर, 2020 की अवधि में 7 हजार 137 कि.मी. निर्माण कार्य पूर्ण कर 698 बसावटों को सड़क सम्पर्क से संयोजित किया गया। **इस आय–व्ययक में पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु 954 करोड़ 75 लाख रूपये व भूमि क्रय हेतु 129 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।**

98. प्रदेश में सड़क निर्माण हेतु ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। समस्त निविदाएं ई–टेण्डरिंग तथा समस्त भुगतान ई–पेमेंट के माध्यम से किये जा रहे हैं। मार्गों के अनुरक्षण में 'ऑफ केरेज वे' (off-carriage way) अनुरक्षण का कार्य महिला मंगल दलों के माध्यम से कराये जाने का नवीन प्रयास किया गया है।

99. मान्यवर, मुजफ्फरनगर रेल लाइन निर्माण परियोजना हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। **इस आय–व्ययक में योजना हेतु उत्तराखण्ड सरकार के अंश के रूप में 70 करोड़ रूपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है।**

100. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिकोण से उड्डयन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस क्रम में हमारी सरकार द्वारा चारधाम यात्रा हेतु चार्टर हैली सेवाएं आरम्भ की गयी। श्री केदारनाथ जी धाम की शटल सेवा हेतु वर्ष 2017–18 में प्रथम बार हैली शटल सेवाओं हेतु खुली निविदा के माध्यम से सेवा प्रदाताओं का चयन किया गया, जिससे वर्ष 2017–18 में 7 करोड़ 50 लाख रूपये की आय तीन गुना बढ़कर, वर्ष 2020–21 में लगभग 22 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष हो गयी।

101. रिजनल एयर कनेक्टीविटी के अन्तर्गत जौलीग्रान्ट से नई टिहरी, श्रीनगर व गौचर के लिए सस्ती दरों पर हवाई सेवाएं आरम्भ की गयी हैं।

102. वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा पंतनगर हवाई अड्डे को ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट में परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु भूमि अधिग्रहण आदि कार्य गतिमान है। साथ ही जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। हवाई सुविधा के विस्तारीकरण के दृष्टिगत चौखुटिया में हवाई पट्टी निर्माण नवीन योजना प्रस्तावित की जा रही है। **इस आय व्ययक में उड्डयन विकास व विस्तार के लिए 181 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा रहा है।**

103. मान्यवर, सड़क, रेल, उड्डयन आदि के साथ–साथ हमने रोपवे को भी कनेक्टीविटी के एक माध्यम के तौर पर प्रयोग करने की योजना बनायी है। देहरादून से मसूरी तक रोपवे पी.पी.पी. मोड में विकसित किये जाने हेतु निजी निवेशक का चयन किया गया है। निवेशक द्वारा योजना में लगभग 300 करोड़ रूपये का निवेश किया जायेगा। यह रोपवे विश्व के सबसे लंबे पाँच रोपवे में से एक होगा। इसी प्रकार ''कद्दूखाल से सुरकण्डा देवी'', ''ठुलीगाड़ से पूर्णागिरी देवी'' एवं केदारनाथ, नैनीताल, भैरवगढ़ी तथा कालेश्वर मन्दिर पर रोपवे विकसित किये जाने हेतु विभिन्न चरणों में कार्यवाही गतिमान है।

104. मान्यवर, उत्तराखण्ड देवभूमि है एवं महाकुम्भ की आयोजक स्थली है। सनातन धर्म के चार धामों का प्रदेश है। आस्था के प्रतीक पिरान कलियर, गुरूद्वारा श्री रीठा साहिब व श्री हेमकुण्ड साहिब यहीं हैं। यहाँ गगनचुम्बी पर्वत हैं, ग्लेशियर हैं, देवदार के वृक्ष हैं। यहाँ गंगा यमुना का उदगम स्थल है। ऐसी विशिष्टियों वाले प्रदेश को विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टीनेशन का स्थान दिलाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। यह सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज उत्तराखण्ड विश्व पटल में पर्यटन गन्तव्य के रूप में स्थापित होने की दिशा में अग्रसर है। प्रदेश में पहली बार फरवरी, 2019 में **पैसेफिक एशिया**

ट्रैवल एसोसियेशन (पाटा) का आयोजन ऋषिकेश में किया गया। इसके साथ ही पर्यटन को बढावा देने के लिए समय–समय पर अन्य आयोजन भी किये जा रहे हैं।

105. मान्यवर, ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रोकने के उद्देश्य से **''दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना''** प्रारम्भ की गयी है। अन्य महत्वपूर्ण योजना **''अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) पंजीकरण योजना''** के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में 2 हजार 857 होम स्टे पंजीकरण किये गये हैं। प्रदेश में ट्रैकिंग को बढावा दिये जाने के दृष्टिगत ट्रैक मार्गों पर होम–स्टे को विकसित करने के लिए स्थानीय व्यक्तियों को होम स्टे के निर्माण एवं साज–सज्जा के लिए **ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना** 1 सितम्बर, 2020 से प्रारम्भ की गयी है।

106. मान्यवर, राज्य के अथक प्रयासों से टिहरी झील प्रमुख टूरिस्ट डेस्टीनेशन के रूप में अपनी पहचान बना रही है। यहां पर्यटन विकास एवं रोजगार की अपार सम्भावनायें हैं। टिहरी झील के समग्र पर्यटन विकास हेतु केन्द्र सरकार ने 1 हजार 210 करोड़ रूपये की बाह्य सहायतित परियोजना पर सैद्धान्तिक सहमति दी है एवं अग्रेत्तर कार्यवाही गतिमान है।

107. माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों के अन्तर्गत लगभग 300 करोड़ रूपये के कार्य प्रथम चरण में पूर्ण कर लिये गये हैं एवं द्वितीय चरण में 107 करोड़ रूपये के कार्य गतिमान हैं। इस हेतु **''श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट''** की स्थापना की गयी है।

108. **वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना** के अन्तर्गत पूर्व में व्यावसायिक वाहनों के क्रय हेतु 25 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रूपये की सब्सिडी का प्रावधान था। हमारी सरकार द्वारा लग्जरी/इलेक्ट्रिक/वातानुकूलित

बसों के क्रय हेतु, उनकी लागत के 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 लाख रूपये प्रति वाहन की सब्सिडी भी प्रारम्भ की गयी है। साहसिक पर्यटन गतिविधियों को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित रूप से संचालित किये जाने के उद्देश्य से ''उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग (संशोधन) नियमावली 2018'' तथा ''उत्तराखण्ड फुट लॉच एयरो सपोर्ट (पैराग्लाइडिंग) नियमावली 2018'' प्रख्यापित की गयी है।

109. मान्यवर, ऋषिकेश में अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन सेंटर तथा वैलनेस सिटी विकास हेतु तकनीकी कन्सलटेन्ट से प्लान तैयार करवाया जा रहा है। यह मीटिंग, इनसेंन्टिव्स, कॉन्फ्रेसिंग एण्ड एग्जीबिशन (माईस) पर्यटन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।

110. इनवेस्टर्स समिट–2018 के अवसर पर पर्यटन क्षेत्र में किये गये अनुबंधों में से अब तक 12 अनुबंधों पर निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई, जिसमें 1 हजार 109 करोड़ रूपये की धनराशि के पूंजी निवेश से 2 हजार 80 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने की सम्भावना है।

111. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राज्य में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सदैव प्रयत्नशील रही है। गढ़ीकैंट, देहरादून में निर्मित हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र के अन्तर्गत राज्य स्तरीय संग्रहालय तथा राज्य स्तरीय प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। निःसन्देह इससे राज्य में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

112. मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य में इस वर्ष होने जा रहे महाकुम्भ को यथा सम्भव भव्य, सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न विभागों यथा सिंचाई, पेयजल, ऊर्जा, लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं पर्यटन विभाग के तत्वावधान में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं। हरिद्वार में 35.4 कि.मी. गंगनहर कांवड पटरी, 990 मीटर का आस्था पथ का निर्माण एवं ऋषिकेश में विभिन्न स्थानों पर

आस्था पथ को जोड़ने हेतु 2.08 किमी लम्बाई के डबल लेन का निर्माण किया गया है। जनपद हरिद्वार में 07 नये सेतुओं के निर्माण से कुम्भ मेला एवं वर्ष भर आयोजित होने वाले विभिन्न स्नान पर्वों पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल सकेगी। 310 सी.सी.टी.वी. कैमरों से युक्त पुलिस सर्विलांस सिस्टम का निर्माण सी.सी.आर. भवन में किया जा रहा है, जिससे भीड़ एवं यातायात नियंत्रण करने की क्षमता में वृद्धि होगी। क्यू.आर. कोड आधारित तकनीकी का प्रयोग कर कुम्भ मेला क्षेत्र में 11 हजार शौचालय, 4 हजार 46 यूरीनल एवं 1 हजार 670 स्नानागारों का प्रबन्ध किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी :

113. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वक्त तेजी के साथ बदला है। आज कनेक्टीविटी या सम्पर्क सड़क, रेल मेट्रों और उड्डयन से ही नहीं होता अपितु सूचना प्रौद्योगिकी कनेक्टीविटी का पर्यायवाची बन गया है। डिजिटाइजेशन वक्त की मांग है। राज्य में आई.टी. अवस्थापना के क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किये गये, जिसके अन्तर्गत कई वर्षों से लम्बित 'राज्य डाटा सेंटर' की स्थापना वर्ष 2019 में की गयी। यह डाटा सेंटर अत्याधुनिक तकनीकी हाईपर कनवर्ज्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है।

114. सरकार की जन सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से लागू करने में सूचना प्रौद्योगिकी अहम भूमिका निभा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सचिवालय, परिवहन, पुलिस विभाग सहित 258 सरकारी कार्यालयों को जोड़ा जा चुका है। इससे योजनाओं की समीक्षा और मॉनिटरिंग में तेजी आई है। प्रदेश के 500 राजकीय इंटर कॉलेजों में वर्चुअल क्लास के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। कोरोना काल में आमजन व सरकारी कामकाज में आईटी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रमाण–पत्र जारी करने का कार्य भी ऑनलाइन किया जा रहा है।

115. मान्यवर, पंचायतीराज विभाग के तत्वावधान में उत्तराखण्ड में न्याय पंचायत स्तर पर **कॉमन सर्विस सेन्टर–स्पेशल परपज व्हीकल** के द्वारा सभी 662 न्याय पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर का शुभारम्भ किया जा चुका है। सी.एस.सी. द्वारा पंचायतीराज विभाग में संचालित सॉफ्टवेयर पर ई–ग्राम स्वराज पोर्टल, एम–एक्शन सॉफ्ट, लोकल गवर्मेन्ट डायरेक्टरी, नेशनल एसेट्स डायरेक्टरी, ट्रेनिंग मैनेजमेन्ट पोर्टल, सर्विस प्लस, नेशनल पंचायत पोर्टल, ऑडिट ऑनलाइन, ग्राम मानचित्र, सी.एम. हेल्प लाइन, स्वच्छ पंचायत डैशबोर्ड तथा परिवार रजिस्टर आदि ऑनलाइन कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं।

116. मान्यवर, त्रिस्तरीय पंचायतों को अनुदान राशि का भी डिजिटल हस्तान्तरण किया जा रहा है। कोषागार स्तर पर ई–साईन के आधार पर मासिक लेखा एवं पेंशन प्रपत्रों को तैयार किया जा रहा है, शासकीय कार्य पूर्णतः पेपरलेस किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। ई–स्टाम्प, ई–टेण्डर सिस्टम, ड्राइविंग लाइसेंस, अटल आयुष्मान योजना आदि सरकारी कार्य ऑनलाइन माध्यम से कम समय में और पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित किये जा रहे हैं। पेंशनरों को जीवन प्रमाण–पत्र डिजिटल माध्यम से प्रदान करने हेतु कोषागार के सॉफ्टवेयर इन्टीग्रेटेड फाइनेशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (आई.एफ.एम.एस.) को एन.आई.सी. द्वारा विकसित ''**जीवन प्रमाण प्रणाली**'' के साथ एकीकृत किया गया है।

117. उत्तराखण्ड क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में राज्य मुख्यालय सहित 5 जनपदों में अपग्रेडेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष जनपदों में कार्य गतिमान है। क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क से ब्लॉक/तहसील स्तर तक वीडियों कॉन्फ्रेंस सेवा स्थापित है व विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय स्तर तक के 1 हजार 600 से अधिक कार्यालय संयोजित किये जा चुके हैं।

118. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आबकारी विभाग के तत्वावधान में मदिरा की तस्करी एवं अवैध मद्यनिष्कर्षण के व्यवसाय पर प्रभावी रोक लगाने के लिए **ट्रैक एण्ड ट्रैस प्रणाली लागू की जा रही है।**

119. मान्यवर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के तत्वावधान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत समस्त पात्र लाभार्थियों के राशनकार्डों का शतप्रतिशत डिजिटाइजेशन कर आधार नम्बर से लिंक करते हुए एण्ड–टू–एण्ड कम्प्यूटराइजेशन में रियल टाइम सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्रियान्वित किया गया है। **फेयर प्राईस शॉप ऑटोमेशन** के अन्तर्गत राज्य की कुल 9 हजार 225 फेयर प्राईस शॉप में से 7 हजार 416 फेयर प्राईस शॉप पर हार्डवेयर वितरित करते हुए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। शेष 1 हजार 809 फेयर प्राईस शॉप के ऑटोमेशन हेतु भी कार्यवाही गतिमान है। **वन नेशन वन राशनकार्ड** की योजना राज्य में लागू कर दी गयी है।

120. सूचना प्रौद्योगिकी अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में भारत सरकार से **'भारत नेट फेज–2'** परियोजना को शीघ्र राज्य में लागू किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिस पर भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा शीघ्र ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत स्तर तक ऑप्टिकल फाईबर स्थापित कर राज्य की दूरसंचार व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

121. ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत 32 नागरिक केन्द्रित सेवायें वर्तमान में समस्त जनपदों में ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। ई–डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत निस्तारित आवेदन पत्रों की संख्या वर्ष 2012 से 2017 तक 24 लाख 63 हजार 995 के सापेक्ष विगत 4 वर्षों की अवधि में दोगुने से भी अधिक 50 लाख 86 हजार 277 है। जन सामान्य की समस्त शिकायतों व समस्याओं के

त्वरित समाधान हेतु गतवर्ष मुख्यमंत्री हेल्प लाइन '1905' की स्थापना की गयी है।

122. व्यवसायिक वाहनों को जारी की जाने वाली फिटनेस सम्बन्धी कार्य में पारदर्शिता हेतु **एम–फिटनेस ऐप** के माध्यम से वाहनों का निरीक्षण प्रारम्भ किया गया है। उक्त ऐप के माध्यम से वाहन की फिटनेस के समय वाहन के फोटो लिये जाने की व्यवस्था भी की गयी है। वर्तमान में नये वाहनों के प्रपत्रों को **डॉक्यूमेन्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम** (डी.एम.एस.) के माध्यम से सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जा रहा है। इसी प्रकार पूर्व में पंजीकृत वाहनों के अभिलेखों के डिजिटाइजेशन की कार्यवाही गतिमान है।

123. चालकों की लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की दृष्टि से माइक्रोसॉफ्ट कम्पनी के साथ सॉफ्टवेयर (HAMS) विकसित किया गया है। राज्य में 11 स्थानों पर ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स के निर्माण का निर्णय लिया गया है। **देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश एवं हरिद्वार आदि में ट्रैक निर्माण एवं चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु इस आय–व्ययक में 17 करोड़ 62 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।**

124. शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का समावेश सुनिश्चित करते हुए समस्त राजकीय महाविद्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग हेतु चैट रूम की व्यवस्था एवं विद्यार्थियों को शैक्षणिक उपाधि डीजी–लॉकर से प्रदान करने की योजना भी प्रस्तावित है।

125. मान्यवर, डिजिटल लॉकर के माध्यम से दस्तावेज संरक्षित कर उनके ऑनलाइन उपयोग की प्रक्रिया गतिमान है। तीन लाख एक हजार डिजिटल लॉकर का पंजीकरण किया जा चुका है एवं सत्रह लाख एक्यासी हजार प्रमाण–पत्र डिजिटल लॉकर के माध्यम से प्रदान किये जा चुके हैं।

126. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय समावेशन की पहुंच अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किये गये हैं। वित्तीय समावेशन को बढावा देने और जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2020 तक **प्रधानमंत्री जन धन योजना** के अन्तर्गत राज्य में 6 लाख 85 हजार 174 खाते खोले गये हैं, **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना** के अन्तर्गत राज्य में 6 लाख 8 हजार 679 आवेदकों को 7 हजार 792 करोड़ रूपये के ऋण वितरित किये गये हैं एवं **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना** के अन्तर्गत 19 लाख 7 हजार 869, **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना** के अन्तर्गत 4 लाख 18 हजार 953 एवं **अटल पेंशन योजना** के अन्तर्गत 2 लाख 54 हजार 720 लाभार्थियों को आच्छादित किया गया है। **''प्रधानमंत्री फेरी व्यवसायियों हेतु आत्मनिर्भर निधि योजना''** के अन्तर्गत 7 हजार 791 आवेदकों को 7 करोड़ 79 लाख रूपये के ऋण स्वीकृत किये गये हैं।

127. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम लोक कल्याणकारी राज्य हैं। लोक कल्याण के यथासम्भव प्रयास हमारी सरकार द्वारा किये जा रहे हैं। हमारी सरकार ने विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण आदि विभागों के माध्यम से सामाजिक विकास एवं जनकल्याण के पवित्र कार्य में अहम भूमिका निभाई है।

128. शिक्षा की गुणवत्ता एवं विद्यालयों के आधारभूत संरचना विकास तथा सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार कटिबद्ध है। विद्यालयों में भौतिक संसाधनों के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत कुल 2 लाख 22 हजार 780 छात्रों को बैठने हेतु फर्नीचर तथा 1 हजार 596 राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं। विद्यालयों में भौतिक संसाधनों के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत 689 राजकीय विद्यालयों में वृहद मरम्मत, भवन निर्माण व प्रयोगशाला निर्माण कराया जा रहा

है। इस आय–व्ययक में **समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 1154 करोड़ 62 लाख रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है।**

129. राज्य के विद्यालयों में कुल 6 लाख 62 हजार बच्चों को कोविड–19 महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराया गया। इसके अन्तर्गत छात्रों अथवा उनके अभिभावकों को खाद्यान्न (चावल) एवं कुकिंग मूल्य की धनराशि उपलब्ध करायी गई। राज्य सरकार द्वारा छात्रों के पोषण स्तर में सुधार हेतु मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित लगभग 17 हजार विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को सप्ताह में एक दिन अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाता है।

130. कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में पाठ्य सामग्री देते हुए **शिक्षा का अधिकार अधिनियम** के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग एक लाख से अधिक छात्र–छात्राओं को निजी विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययन करने का अवसर दिया जा रहा है तथा विगत तीन वर्षों में प्रतिपूर्ति के आधार पर 272 करोड़ 41 लाख रूपये व्यय किये गये हैं। **इस हेतु आय–व्ययक में कुल 153 करोड़ 7 लाख रूपये का प्रावधान है।**

131. राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण अधिगम को सुगम बनाने, डिजिटल अधिगम को बढ़ावा देने एवं विषयगत् अध्यापकों की कमी के दृष्टिगत 500 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं स्थापित की गयी हैं।

132. माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तराखण्ड को ज्ञान प्रदेश के रूप में रूपान्तरित करने के स्वप्न को साकार करने के लिए हम उच्च शिक्षा क्षेत्र के विकास को महत्वपूर्ण कुंजी समझते हैं। सरकार द्वारा प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। हमारी सरकार का यह प्रयास रहा है कि प्रत्येक महाविद्यालय सरकारी भवन में संचालित हो एवं वर्ष 2022 तक हम समस्त महाविद्यालयों के भवन के निर्माण

हेतु प्रयासरत हैं। हम इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण प्रत्येक युवा को उच्च शिक्षा के समुचित अवसर उसके द्वार पर उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत हैं। इसलिए इस आय–व्ययक में हम **प्रत्येक विकासखण्ड में महाविद्यालय की उपलब्धता** को सुनिश्चित करने के लिए यथोचित प्रावधान कर रहे हैं। साथ ही प्रत्येक जिले में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय को मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित किया भी जाना प्रक्रियाधीन है।

133. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा गरीब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है, जिससे राज्य के विकास में उनकी भूमिका सुनिश्चित हो सके।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा :

134. मान्यवर, **''सबके लिये स्वास्थ्य'' (Health for All)** की परिकल्पना के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों की तैनाती को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी है। सरकार के प्रयासों से वर्तमान में 2 हजार 136 चिकित्सक विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत हैं, जबकि वर्ष 2017 से पूर्व यह संख्या मात्र 1 हजार 747 थी। 763 चिकित्सकों एवं 2 हजार 500 नर्सों की नियुक्ति का अधियाचन भेजा जा चुका है। शीघ्र ही इनकी सेवायें हमको प्राप्त होने लगेगी एवं इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर सुधार होगा।

135. महोदय, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को अकादमिक वर्ष 2021 से संचालित करने के लिए प्रयासरत है। हरिद्वार, पिथौरागढ़ एवं रूद्रपुर में तीन मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करने हेतु हम भारत सरकार के आभारी हैं। हम तीनों मेडिकल कॉलेजों का भौतिक कार्य इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ करने जा रहे हैं। **इस हेतु आय–व्ययक में 228 करोड़ 99 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।**

136. मान्यवर, राजकीय मानसिक चिकित्सालय, देहरादून को 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय के रूप में उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया है। हर्रावाला, देहरादून में 300 शैय्यायुक्त कैंसर एवं मेटरनिटी हॉस्पिटल की स्थापना व पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय कोरोनेशन चिकित्सालय का विस्तारीकरण कर 100 अतिरिक्त शैय्यायुक्त चिकित्सालय भवन के निर्माण का कार्य गतिमान है।

137. मान्यवर, राज्य में 108 आपातकालीन सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1 बोट एम्बुलेन्स के अतिरिक्त 139 एम्बुलेन्स क्रय की गयी थी। इसी क्रम में 132 और नई एम्बुलेन्स भी क्रय की गयी है। निःसन्देह सरकार की इस पहल से प्रभावित व्यक्ति तक आपातकालीन सेवा की पहुंच का रिस्पांस टाइम कम हो जायेगा।

138. जनसामान्य को उसके घर के समीप स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर 600 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर संचालित हो रहे हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से गत 01 वर्ष के दौरान लगभग 4 लाख मरीजों का उच्च रक्तचाप (हाइपरटेन्शन) आदि के सम्बध में उपचार प्रदान किया गया है।

139. सरकार दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं को 29 अप्रैल, 2020 से टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्रदान कर रही है। इस दौरान 66 हजार 422 मरीजों को टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से उपचार प्रदान किया जा चुका है।

140. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखण्ड सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। इस योजना के आरम्भ से अभी तक 42 लाख पात्र लाभार्थियों द्वारा गोल्ड़न कार्ड बना लिये गये हैं। 2 लाख 35 हजार 920 लाभार्थियों पर लगभग 254 करोड़

रूपये का उपचार व्यय किया गया है। **इस आय–व्ययक में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के संचालनार्थ 150 करोड़ रूपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है।**

141. मान्यवर, उत्तराखण्ड की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में निरन्तर सुधार हो रहा है परिणाम स्वरूप संस्थागत प्रसव 50 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हो गया है। सुरक्षित प्रसव होने के कारण राज्य की मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट आ रही है। एस.आर.एस. सर्वे 2018–19 की रिपोर्ट के अनुसार मातृ–मृत्यु अनुपात 102 अंको की गिरावट के बाद 201 से घटकर 99 प्रति लाख जीवित जन्म के स्तर पर आ गया है।

142. राज्य के अन्तर्गत शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति भी उत्साहजनक रही है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में भी कमी हुई है एवं **बाल** मृत्युदर 41 से घटकर 33 हो गयी है। एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि शिशु टीकाकरण के क्षेत्र में भी देखी गयी है। अब राज्य में टीकाकरण का प्रतिशत 87 से बढ़कर 99 हो गया है। कोविड वेक्सीनेशन पर भी द्रुत गति से कार्य चल रहा है। 1 लाख 68 हजार से अधिक वेक्सीन लगायी जा चुकी है।

143. आम जनमानस को उपचार के दौरान रक्त की आवश्यकता एवं जानकारी के लिए प्रदेश के सभी 35 रक्त कोष को ई–रक्तकोष प्रणाली के साथ जोड़ दिया गया है। इस व्यवस्था के होने से अब उपचार के दौरान रक्त के लिए मरीज के तीमारदार को ऑनलाइन रक्त की उपलब्धता उसके ब्लड ग्रुप के अनुसार हो पायेगी।

144. प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए हेल्थ सिस्टम परियोजना के माध्यम से सरकार द्वारा पर्वतीय एवं असेवित क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार सेवायें देने के लिए विश्व बैंक की सहायता से

चिन्हित जिला चिकित्सालयों को क्लस्टर पद्धति के अनुसार विकसित किया गया है। **इस हेतु आय–व्ययक में 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा रहा है।**

145. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा उपचार सेवाओं का विस्तारीकरण सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के हेल्थ सिस्टम को पूर्णतः सुसज्जित करने की रणनीति पर कार्य किया है जिसके अन्तर्गत जिला चिकित्सालयों में ऑक्सीजन पाईप लाइन, आई.सी.यू. एवं वेन्टीलेटर्स की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। आज हमारे पास 780 आई.सी.यू. बेड, 690 वेंटिलेटर, 3 हजार 343 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड एवं 31 हजार 315 आईसोलेशन बेड उपलब्ध हैं। **इस आय–व्ययक में चिकित्सा एवं परिवार कल्याण हेतु 3319 करोड़ 63 लाख रूपये का प्रावधान किया जा रहा है।**

समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास :

146. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी के विचार हमारी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। पण्डित जी ने कहा था–**''आर्थिक योजनाओं तथा प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुँचे व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा''** इसी क्रम में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की अवधारणा के साथ समाज कल्याण, जनजाति कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में अनेक कल्याणकारी योजनायें संचालित की जा रही हैं।

147. समाज कल्याण विभाग द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगजनों, किसानों परित्यक्त महिलाओं को पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 792 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय की गयी जिससे 4 लाख 23 हजार 512 वृद्धजनों, 1 लाख 48 हजार 418 निराश्रित विधवाओं, 72 हजार 302 दिव्यांगजनों,

17 हजार 749 किसानों एवं 3 हजार 380 परित्यक्त निराश्रित महिलाओं को पेंशन देकर लाभान्वित किया गया वहीं वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 2020 तक 655 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय की गयी जिससे 4 लाख 52 हजार 948 वृद्धजनों, 1 लाख 70 हजार एक निराश्रित विधवाओं, 80 हजार 521 दिव्यांगजनों, 25 हजार 850 किसानों एवं 4 हजार 592 परित्यक्त निराश्रित महिलाओं को पेंशन देकर लाभान्वित किया है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि को 1000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1200 रूपये प्रतिमाह किया गया है। पेंशन की धनराशि में यह वृद्धि राज्य के संसाधनों से की जा रही है। **इस आय–व्ययक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु 1152 करोड़ 88 लाख रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है।**

148. हमारी सरकार शिक्षित युवाओं के उज्जवल भविष्य व रोजगार के लिए सतत् प्रयत्नशील है। इस सन्दर्भ में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में 238 युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करायी गयी। इसी प्रकार अल्प संख्यक कल्याण विभाग में प्रतियोगी परीक्षाओं में अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित करने हेतु **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना** के अन्तर्गत अधिकतम 75 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करायी जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के युवाओं को उनके कौशल एवं योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त करने में सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु श्रम एवं सेवायोजन, उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा आदि विभागों के तत्वावधान में विविध कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही प्रत्येक महाविद्यालय में श्रेष्ठ पुस्तकों की उपलब्धता कराने हेतु पुस्तकालयों को यथासम्भव प्रोत्साहित किया जा रहा है।

149. अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल विकास पर जोर देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु **मुख्यमंत्री हुनर योजना** के महत्व को हमने समझा है। इसलिए आगामी आय व्ययक में बजट प्रावधान को दोगुना करते हुए

धनराशि प्रस्तावित की गयी है। अल्पसंख्यक छात्राओं में शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु मुंशी, मौलवी एवं आलिम परीक्षा में संस्थागत छात्राओं द्वारा 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर अधिकतम 25 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दिये जाने के लिए **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना** संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजनान्तर्गत एक 1 हजार 384 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

150. केन्द्रपोषित **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम** के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य विकासखण्डों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए **इस आय–व्ययक में योजनान्तर्गत 40 करोड़ 35 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।**

151. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संचालित **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पी.एम.–एस.वाई.एम.) योजना** भी उल्लेखनीय है। योजना के अन्तर्गत 34 हजार 327 श्रमिकों द्वारा नामांकन कराया जा चुका है।

152. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष हेतु 35 हजार 668 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। **इस हेतु आय–व्ययक में 25 करोड़ 65 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।**

153. **समेकित बाल विकास योजना** की 105 बाल विकास परियोजनाओं में 14 हजार 947 आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं 5 हजार 120 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्री–स्कूल किट एवं मेडिसिन किट उपलब्ध कराने तथा 35 हजार 14 कार्यकर्ताओं के लिए ड्रेस के रूप में 02 साड़ी उपलब्ध कराया जाना

प्रक्रियाधीन है। इस **हेतु आय–व्ययक में 15 करोड़ 43 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।**

154. **अनुपूरक पोषाहार** के अन्तर्गत 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु 20 हजार 23 आंगनवाड़ी केन्द्रों में 8 लाख 55 हजार 578 लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। कोविड–19 माहमारी के दृष्टिगत आंगनवाड़ी कार्मिकों द्वारा लाभार्थियों को घर–घर जाकर टेक होम राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। **इस आय–व्ययक में राष्ट्रीय पोषण मिशन हेतु 43 करोड़ 71 लाख रुपये एवं अनुपूरक पोषाहार हेतु 482 करोड़ 73 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।**

155. **प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना** के अन्तर्गत 75 हजार गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को 5 हजार रूपये प्रति महिला की दर से लाभान्वित करने का प्रस्ताव है।

156. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुपोषण से मुक्ति हेतु **मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना** के अन्तर्गत **''ऊर्जा फूड''** एवं **''बाल पलाश योजना''** प्रारम्भ की गयी है। **''ऊर्जा फूड''** योजना के अन्तर्गत बच्चों को अतिरिक्त पोषक तत्व खिलाकर कुपोषण से मुक्त किया जा रहा है एवं **''बाल पलाश''** योजना के अन्तर्गत स्कूल पूर्व बच्चों (3 वर्ष से 06 वर्ष) का आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, सप्ताह में दो दिन अण्डा (बुधवार व शनिवार) एवं दो दिन केले (सोमवार व मंगलवार) उपलब्ध कराये जा रहे हैं। **मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के अन्तर्गत इस आय–व्ययक में 24 करोड़ 75 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।**

157. मान्यवर, बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु **मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना** प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत समस्त

आंगनवाड़ी केन्द्रों में आने वाले 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में चार दिन विटामिन ए व डी युक्त सुगन्धित फोर्टीफाइड मिल्क प्रति बच्चा 100 मिली लीटर दिया जाता है। **इस योजनान्तर्गत आय–व्ययक में 13 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।**

158. गर्भवती एवं धात्री महिलाओं में एनीमिया कम करने एवं मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना** के अन्तर्गत समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में गर्भवती एवं धात्री को सप्ताह में दो दिन अण्डा, दो दिन केला एवं दो दिन दूध अतिरिक्त पोषाहार के रूप में उपलब्ध कराया जाना प्रक्रियाधीन है।

159. मान्यवर, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर **''नन्दा गौरा योजना''** संचालित की गयी है। जिसके अन्तर्गत पात्र परिवार की 02 बालिकाओं को जन्म के समय प्रथम किश्त के रूप में 11 हजार तथा द्वितीय किश्त के रूप में बाहरवीं कक्षा उत्तीर्ण करने एवं अविवाहित होने पर 51 हजार रूपये की धनराशि प्राप्त करायी जाती है। विगत तीन वर्षों में कुल 96 हजार 967 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। **इस योजनान्तर्गत आय–व्ययक में 120 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।**

160. **सेनिट्री नेपकिन योजना** के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं में स्वच्छता एवं रोग मुक्त रखने हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सेनिट्री नेपकिन की व्यवस्था की जा रही है।

161. पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक स्थान पर चिकित्सकीय, परामर्शीय व विधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 24X7 **सखी वन स्टॉप सेन्टर योजना** समस्त जनपदों में संचालित है। योजना को पुलिस, स्वास्थ्य व जिला विधिक प्राधिकरण इकाइयों के साथ समन्वय कर संचालित किया जा रहा

है, जिसमें विगत वर्षों में पंजीकृत वादों के सापेक्ष 86 प्रतिशत वादों का सफलता पूर्वक निस्तारण किया गया है।

162. मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा महिलाओं को पति की पैतृक सम्पत्ति में सहखातेदार का अधिकार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से राज्य की 35 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ होगा तथा महिलाएं न केवल सम्पत्ति में हकदार होंगी बल्कि अपना व्यवसाय आदि शुरू करने के लिए आसानी से बैंक ऋण भी उपलब्ध करा सकेंगे।

खेल एवं युवा कल्याण :

163. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, खेलों के विकास तथा खिलाडियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। देहरादून एवं पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज के साथ ही 12 जनपदों में बालक एवं बालिकाओं हेतु आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों की भी स्थापना की गयी है।

164. राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2017 से ''खेल महाकुम्भ'' का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रत्येक वर्ष औसतन 2 लाख 25 हजार खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में लगभग 2 लाख 80 हजार युवा खिलाड़ियों को प्रतिभाग कराये जाने का लक्ष्य है।

165. खेलों के विकास हेतु अवस्थापना विकास किया जा रहा है। देहरादून स्थित महाराणा स्पोर्ट्स स्टेडियम तथा हल्द्वानी स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम खेल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन हबों में उच्चस्तरीय खेल प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना प्रक्रियाधीन है। इसी क्रम में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पदक तालिका में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों तथा राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय

स्तर के प्रशिक्षकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाना प्रक्रियाधीन है। खेल नीति–2020 के अन्तर्गत पदक विजेता खिलाडियों के भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है।

166. **उत्तराखण्ड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन हेतु इस आय–व्ययक में 110 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा रहा है।**

167. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ''बातें कम काम ज्यादा'' के मूल मंत्र के साथ हमनें जनकल्याण को सदैव शीर्ष प्राथमिकता पर रखा है। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए एक साफ दृष्टि रखी है। हमारी सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण रोजगार परक योजनाएं संचालित की गयी हैं।

168. मुख्यमंत्री स्वरोजगार के अन्तर्गत **''मोटर साइकिल टैक्सी योजना''** में प्रमुख पर्यटक स्थलों में पर्यटक/यात्रियों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों के माध्यम से वाहन क्रय किये जाने हेतु 60 हजार से 1 लाख 25 हजार रूपये तक का 02 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत इस आय–व्ययक में 40 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।**

169. विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मार्च 2021 तक 19 हजार 200 युवाओं को प्रशिक्षित कर प्रमाणित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके सापेक्ष 11 हजार 551 युवाओं को प्रशिक्षित कर प्रमाणित किया जा चुका है तथा उनके सेवायोजन की कार्यवाही गतिमान है वर्तमान में 4 हजार 469 अभ्यर्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। **इस आय–व्ययक में 140 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।**

170. **''मुख्यमंत्री ई–रिक्शा कल्याण योजनान्तर्गत''** महिला एवं पुरूष लाभार्थियों को 23 करोड़ 64 लाख रूपये का ऋण ई–रिक्शा खरीद हेतु वितरित किया गया है।

171. **''मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजनान्तर्गत''** ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु प्रदेश के उद्यमशील युवाओं, प्रवासियों एवं कृषकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से पात्र सदस्यों को राज्य/जिला सहकारी बैंकों द्वारा 8 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

172. स्थानीय उपज को बढावा देने और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्यों के साथ चौलाई लड्डू को उत्तराखण्ड के विभिन्न मन्दिरों में प्रसाद के रूप में पेश किया जा रहा है।

173. **जी.एस.टी. मित्र योजना** के माध्यम से न केवल दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित छोटे कर दाताओं को सहायता प्रदान की गयी वरन् शिक्षित युवाओं हेतु रोजगार भी सृजित किया गया। वर्तमान में 1 हजार 698 जी.एस.टी. मित्र कार्यरत हैं।

174. परिवहन विभाग के तत्वावधान में सरकार के गत 04 वर्षों की अवधि में 73 हजार 81 परमिट जारी किये गये हैं, जिनके माध्यम से इन परमिटधारियों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

175. अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिला लाभार्थियों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से बनायी गयी **स्टेण्ड अप इण्डिया** योजना में अच्छी प्रगति हुई है। माह सितम्बर, 2020 तक 2 हजार 167 लाभार्थियों को लगभग 442 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया गया है।

176. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2020 तक 124 करोड़ 78 लाख रूपये का ऋण विभिन्न बैंकों के

माध्यम से वितरित किया गया है एवं 53 हजार 651 रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 89 करोड़ 28 लाख रूपये का ऋण वितरण किया गया है, जिससे 10 हजार 312 को रोजगार प्राप्त हुआ है।

177. **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना** के अन्तर्गत देश का प्रथम बैच उत्तराखण्ड में संचालित किया गया। योजना आरम्भ से आतिथि तक 35 हजार 536 युवाओं को प्रशिक्षित कर प्रमाणित किया जा चुका है, जिसमें से 11 हजार 32 युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ा गया है।

178. मान्यवर, **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तृतीय संस्करण (पी.एम.के.वी.वाई. 3.0)** के अन्तर्गत स्वरोजगार तथा उद्यमिता विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है।

179. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमने पारदर्शिता के साथ नियुक्ति को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की है। लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन आयोग व प्राविधिक शिक्षा की ओर से नियुक्ति की प्रक्रिया सतत् रूप से जारी है।

180. लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत चार वर्षो में उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू.डि.), सम्भागीय निरीक्षक, उत्तराखण्ड सचिवालय व उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एवं अपर निजी सचिव, सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा, सहायक अभियोजन अधिकारी, सहायक भू–वैज्ञानिक, सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा, सहायक वन संरक्षक, अर्थ एवं संख्याधिकारी आदि परीक्षायें संचालित कर पूर्ण पारदर्शिता के साथ सैकड़ों रोजगार के अवसर सृजित किये गये हैं।

181. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रोजगार के क्षेत्र में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता हेतु एकीकृत भर्ती पोर्टल की स्थापना की गयी, जिसमें उत्तराखण्ड में रोजगार

सृजित होने से लेकर रोजगार प्रकाशन की पूरी प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। यह हमारी सरकार द्वारा ई–गवर्नेस की दिशा में लिया गया महत्वपूर्ण कदम है।

182. मान्यवर, यह आय–व्ययक हमारी प्राथमिकताओं का प्रतिबिम्ब है। इस आय–व्ययक में कई नई मांगें भी सम्मिलित हैं। मैं सदन का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण नई मांगों की ओर आकृष्ट कर रहा हूँ :–

- शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कक्षा–1 से कक्षा–8 तक के विद्यार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क जूता एवं बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु 24 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा रहा है।

- माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत भौतिक संसाधन तथा शैक्षिक सुधार हेतु ए.डी.बी. के माध्यम से 39 करोड़ 70 लाख रूपये का प्रावधान किया जा रहा है।

- जल जीवन मिशन (शहरी) के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 30 करोड़ 15 लाख रूपये का प्रावधान किया जा रहा है।

- सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नलकूपों, नहरों, झीलों तथा बांधों के रखरखाव हेतु 118 करोड़ रूपये तथा नलकूपों एवं नहरों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

- ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत जल विद्युत परियोजना किसाऊ, लखवाड़ तथा त्यूनी आराकोट के निर्माण हेतु 30 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संरक्षण हेतु अत्याचार निवारण/संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु धनराशि का प्रावधान किया गया है।

- जनजाति शोध संस्थान एवं संग्रहालय के संचालन हेतु आय–व्ययक में प्रावधान किया गया है।

- समाज में महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत न्यायवाद के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता हेतु 3 करोड़ 60 लाख रूपये का प्रावधान किया जा रहा है।

- युवा कल्याण के अन्तर्गत प्रदेश में महिला मंगल दल एवं युवक मंगल दल को सहायता हेतु 15 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा रहा है।

- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) से प्राप्त अनुदान हेतु सहकारिता विभाग के लिए 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा रहा है।

- नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत राज्य में हवाई सुविधा के विस्तारीकरण के दृष्टिगत चौखुटिया में हवाई पट्टी निर्माण हेतु 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

- परिवहन विभाग के अन्तर्गत राज्य में विभिन्न स्थानों पर ऑटोमेडेट टेस्टिंग लेन तथा चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु 17 करोड़ 62 लाख रूपये का प्रावधान किया जा रहा है।

- सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में विज्ञान धाम के अन्तर्गत साइंस सिटी एवं विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु 23 करोड़ 15 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

- उद्यान विभाग के अन्तर्गत फलों के प्रसंस्करण हेतु माननीय प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के संचालन हेतु 5 करोड़ 53 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

- पंचायतीराज विभाग में प्रत्येक पंचायत में भवन की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

मैं वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक अनुमानों के प्रमुख आकड़ों का उल्लेख करना चाहूँगा।

वर्ष 2021–22 में कुल प्राप्तियाँ 57,024 करोड़ 22 लाख रूपये अनुमानित हैं जिसमें 44,151 करोड़ 24 लाख रूपये राजस्व प्राप्तियाँ तथा 12,872 करोड़ 98 लाख रूपये पूंजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व 20,195 करोड़ 43 लाख रूपये है जिसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 7440 करोड़ 98 लाख रूपये सम्मिलित है।

राज्य के स्वयं के स्रोतों से कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति 16,048 करोड़ 1 लाख रूपये में कर राजस्व 12,754 करोड़ 45 लाख रूपये तथा करेत्तर राजस्व 3293 करोड़ 56 लाख रूपये अनुमानित है।

व्यय :

वर्ष 2021–22 में ऋणों के प्रतिदान पर 4,241 करोड़ 57 लाख रूपये, ब्याज की अदायगी के रूप में रूपये 6052 करोड़ 63 लाख रूपये, राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर लगभग 15,210 करोड़ 41 लाख रूपये, सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग 1212 करोड़ 10 लाख रूपये, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में 6,400 करोड़ 19 लाख रूपये व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2021–22 में कुल व्यय 57,400 करोड़ 32 लाख रूपये अनुमानित है। कुल व्यय में 44,036 करोड़ 31 लाख रूपये राजस्व लेखे का व्यय है तथा 13,364 करोड़ 1 लाख रूपये पूंजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि में घाटा/सरप्लस :

वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक प्रस्ताव के आधार पर कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है बल्कि 114 करोड़ 93 लाख रूपये का राजस्व सरप्लस सम्भावित है एवं 8,984 करोड़ 53 लाख रूपये का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, जोकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) का 3.23 प्रतिशत है।

लोक–लेखा से समायोजन :

वर्ष 2021–22 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए 650 करोड़ रूपये लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

अन्तिम शेष :

वर्ष 2021–22 के अनुमानित प्रारम्भिक शेष 369 करोड़ 35 लाख रूपये तथा वर्ष की प्राप्तियों एवं व्यय पश्चात् अन्तिम शेष 393 करोड़ 25 लाख धनात्मक रहना अनुमानित है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

अन्त में, मैं, मंत्रिमण्डल के अपने सहयोगियों के प्रति उनके सहयोग तथा परामर्श के लिए आभार प्रकट करता हूँ। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बजट तैयार करने में जो सहायता मुझे दी है उसके लिए, मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता के लिए भी कृतज्ञ हूँ। मैं, राजकीय मुद्रणालय तथा एन.आई.सी. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके परिश्रम एवं सहयोग से समय से बजट तैयार करना व बजट साहित्य का मुद्रण सम्भव हो सका।

''मंजिले भी जिद्दी हैं

रास्ते भी जिद्दी हैं

देखते हैं कल क्या हो

हौसले भी जिद्दी हैं''

इन्ही शब्दों के साथ, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2021–22 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

फाल्गुन 13, शक सम्वत् 1942

तद्नुसार
04 मार्च, 2021

...